न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

A 7/1

पीठासीन अधिकारी—

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
122/प्रा0पत्र/14	09.10.2014	17.09.2021

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

—प्रार्थी

बनाम

गोपाल पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर निवासी मेण्ड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—अप्रार्थी

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार
अप्रार्थी की ओर से श्री लीलाधर सिंह एड0

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार हिण्डोली द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी गोपाल आ. रामकिशन जाति गुर्जर ग्राम मेण्ड़ी तहसील हिण्डोली को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 834 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम मेण्ड़ी आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2000 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

राजकीय अभिभाषक बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी गोपाल को विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 834 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम मेण्ड़ी का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधान एवं प्रकिया के विपरीत आवंटन किया गया हैं। आवंटी गोपाल का आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर कभी भी वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं रहा हैं तथा भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गई हैं। आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति सुवालाल पुत्र दलाल उदालाल गुर्जर का कब्जा हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। आवंटन के पश्चात प्रथम व द्वितीय वर्ष में आवंटित भूमि के 1/2 भाग में जोतना व फसल करना नियमों में अनिवार्य हैं। आवंटन नियम 14(3) की पालना उक्त आवंटन आदेश में नहीं की गई हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2000 को खारिज किया जावें।

वकील अप्रार्थी ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी गोपाल को आवंटन की पात्रता रखने से आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर भूमि का आवंटन किया गया हैं। आवंटन पूर्ण कोरम में किया गया हैं। अप्रार्थी गोपाल का गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड होना स्वीकार हैं। अप्रार्थी आवंटनशुद्धा भूमि खसरा संख्या 834 वर्तमान खसरा संख्या 1085/834 रकबा 1 बीघा पर आवंटन से लेकर आज तक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। भूमि पर आवंटी अप्रार्थी गोपाल का ही कब्जाकाश्त हैं। संबंधित हल्का पटवारी ने सुवालाल से मिलकर उसका नाम झूठा लिखा हैं। हल्का

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A½

अप्रार्थी गोपाल से नाजायज राशि की मांग करता हैं और नहीं देने पर रंजिशवश झूठी कार्यवाही करवायी हैं। उक्त भूमि पर अप्रार्थी गोपाल काबिज हैं एवं वही पर अप्रार्थी गोपाल ने अपना निजी मकान बना रखा हैं। अप्रार्थी गोपाल भूमि पर काबिज काश्त होने के कारण गिरदावरी सम्वत् 2069–72 में अप्रार्थी गोपाल आ. रामकिशन के द्वारा सूड़ व गेहूं की फसल बोना अंकित किया हैं इससे साफ जाहिर हैं कि भूमि पर गोपाल काबिज हैं। यह कार्यवाही हल्का पटवारी ने रंजिशवश पेश करवाई हैं जो खारिज होने योग्य हैं। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2000 यथावत रखा जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अप्रार्थी गोपाल को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 06.06.2000 को आवंटन किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा यह तथ्य व्यक्त किये गये हैं कि अप्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं। इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत् 2069 से 2072 का अवलोकन किया गया जिसमें खरीफ में सूड़, रबी में गेहूं की फसल अंकित हैं। प्रार्थी द्वारा यह तथ्य भी अंकित किया गया हैं कि आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा हैं। अतिक्रमी को किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) में यह उल्लेखित है कि यदि आवंटन कपट या दुव्र्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो, या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकेगा। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे यह साबित हो कि आवंटी द्वारा कौनसे तथ्य छिपाये जाकर आवंटन करवाया गया हैं तथा आवंटन की कौनसी शर्तों की पालना नहीं की गई हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सारहीन/बलहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2000 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावें।

आदेश आज दिनांक 17.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
बूंदी (राज०)

अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी